न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

आंगनबाड़ी अपील वाद सं0–05/2015–16

कुमारी दीपा वर्मा बनाम राज्य एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
15-12-18	प्रस्तुत अपील कुमारी दीपा वर्मा, पति प्रदीप वर्मा, ग्राम+पो0–धनरूआ, वार्ड सं0–06, पटना द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना के आंगनबाड़ी वाद सं0–40/14 कुमारी दीपा वर्मा बनाम बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धनरूआ में दिनांक–12.11.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध आंगनबाड़ी मार्गदर्शिका–2011 की धारा–10–10.7 के अंतर्गत दिनांक–17.12.2015 को दाखिल किया गया। अभिलेख अवलोकन किया। दिनांक–17.12.2015 को पक्षकारों को नोटिस निर्गत करते हुए दिनांक–18.02.2016 को न्यायालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया। अपीलकर्ता दिनांक–18.02.2016 को अनुपस्थित थें। उन्हें अंतिम मौका देते हुए, अगली तिथि 17.03.2016 निर्धारित की गई। दिनांक–10.06.2016 से 15.09.17 तक लगातार 07 (सात) तिथियों पर अपीलकर्ता अनुपस्थित रहे है। पुनः दिनांक–22.12.2017 से 20.08.18 तक लगातार 05 (पांच) तिथियों पर अपीलकर्ता अनुपस्थित रहे। उन्हें पुनः अंतिम मौका देते हुए अगली तिथि 27.08.2018 निर्धारित की गई। दिनांक–27.08.18 से 15.12.18 तक लगातार 03(तीन) तिथियों से अपीलकर्ता अनुपस्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता को वाद–संचालन में कोई अभिरूचि नहीं रह गई है। इसलिए अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित** 15/12/18 समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना। 15/12/18 समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।	श्रीमान जिला प्रतिनिधि, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पटना/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी धनरूआ/आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को सूचनार्थ प्रेषित।